उत्तर प्रदेश राज्य आद्योगिक विकास निगम लिमिटेड



पूर्वाएसआइडासा कान्यलयस ए—1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स नं0 1050, कानपुर—208 024

दूरभाष : 2582851—53 फैक्स : (0512) 2580797 वेबसाईट : www.upsidc.com

ई मेल :

feedback@upsidc.com

सन्दर्भ सं0 २०१-11 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/ प्रात्निकी वर्ष्ण्य 16 दिनांक 25-4-13

-: कार्यालय आदेश:-

निगम के निदेशक मण्डल की 281वीं बैठक में आपरेटिंग मैन्युअल की धाराओं में निम्नवत संशोधन/अनुमोदित किया गया है जिनको निगम में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है :--

(अ) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 6.07(VIII) उ0प्र0 वित्तीय निगम /पिकप के द्वारा एस0एफ0सी0 एक्ट की धारा 29 के अन्तर्गत नीलामी के द्वारा बिक्रीत भूखण्डो के सम्बन्ध में ।

पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 3423-27/एसआईडीसी/आईए/पॉलिसी दिनांक 21.11. 2002 द्वारा किये गये प्राविधान को लागू करते हुये उपरोक्त प्रकरणों मे, जिसमें सेल लेटर दिनांक 31.8.2002 के पूर्व निर्गत किये गये है, के नामान्तरण हेतु व्यवस्था की जाए।

(ब) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 6.07(V) हस्तान्तरण आवंटी की मृत्यु अथवा अपंगता के सम्बन्ध में ।

आपरेटिंग मैन्युअल की उक्त धारा में इस सीमा तक स्पष्टीकरण कर संशोधित किया जाता है कि आवंटी एकलस्वामी की मृत्यु / पूर्ण अपंगता की स्थिति में निगम द्वारा परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत परिभाषित सदस्यों को हस्तान्तरण के मामलें में मृत्यु/पूर्ण अपंगता के दो वर्ष के उपरान्त भी बिना हस्तान्तरण लेवी के आधार पर हस्तान्तरण अनुमन्य होगा ।

(स) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 8.01 के समय विस्तारण शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में

10 वर्ष से अधिक के समय विस्तारण के प्रकरणों में संशोधन इस सीमा तक अनुमन्य किया गया है कि अपिरहार्य पिरिस्थितियों में जैसे यूपीएफसी/पिकप के एस0एफ0सी0 एक्ट की धारा-29 के अर्न्तगत के प्रकरण, न्यायालय द्वारा विवादित भूखण्डों के प्रकरण या अत्यधिक गम्भीर बीमारी आदि के प्रकरण जिसमें आवंटी 10 वर्ष के बाद भी इकाई स्थापित नही कर सका है में निगम के प्रबन्ध निदेशक को समय विस्तारण किये जाने हेतु (आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात के प्रकरणों में 15 प्रतिशत वार्षिक समय विस्तारण शुल्क के साथ) अधिकृत किया गया है तथा आवंटन के 10 वर्ष से अधिक पुराने हस्तांतरण प्रस्ताव प्राप्त

होने पर नियमानुसार समय विस्तारण शुल्क लेते हुए निस्तारित कर दिया जाए परन्तु यह सुविधा अगले 6 माह तक ही लागू रहेगी तथा ऐसे प्रकरणों में अधिक से अधिक आवंटियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिये समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार/प्रसार किया जाए।

(द) आपरेटिंग मैन्युअल की चैप्टर-5 निरस्त भूखण्ड के आवंटन पुनर्जीवीकरण के सम्बन्ध में

आपरेटिंग मैन्युअल के पेज 43 पर बिन्दु संख्या 2 में अकित पूर्व आवंटी को भूखण्ड पर 2 वर्ष में इकाई स्थापना हेतु अपेक्षित शपथ-पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप एन्नेक्चर-6 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित 01 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष में इकाई स्थापना हेतु समयबद्ध कार्यक्रम का शपथ लेने की नीति पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(a) आपरेटिंग मैन्युअल की धारा 8.01(b) के अन्तर्गत अंकित समय विस्तारण शुल्क के लिए निर्घारित प्रतिशत दर में कार्यालय आदेश के अनुसार संशोधन के सम्बन्ध में:-

निम्नानुसार प्रतिशत दर में संशोधन किया जाता है:-

4 to 5 years 5% of the original premium as TEF.

5 to 6 years 7.5% of the original premium as extension fee

(मनोज सिंह) प्रबन्ध निदेशक

संख्या

एसआईडीसी–आईए–पालिसी वाल्यूम–16

दि0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव एवं समस्त अनुभागाध्यक्ष , उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र 2. उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

समस्त अधिकारी / कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, (औ० क्षे०), मुख्यालय, 3. कानपुर।